न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री ब्रजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
110/2020	20.11.2020	13.01.26

उनवान

मीठालाल पुत्र गुजरया, मीना निवासी कोटडी तहसील गंगापुर सिटी (मृतक)
1./1 कमल चंद पुत्र मीठालाल, मीना निवासी कोटरी तह0 गंगापुर सिटी
1/2 लक्खीराम पुत्र मीठालाल, मीना निवासी कोटरी तह0 गंगापुर सिटी
1/3 गुलकंदी पत्नी मीठालाल, मीना निवासी कोटरी तह0 गंगापुर सिटी
1/4 संतरा पुत्री मीठालाल मीठालाल, मीना निवासी कोटरी तह0 गंगापुर
—वादीगण

बनाम

1. पन्ना पुत्र बद्री, गूजर निवासी बाढकोटडी तहसील गंगापुर सिटी
2 घनश्याम पुत्र किशनलाल, गूजर निवासी बाढवाटडी तहसील गंगापुर सिटी
3 रामजीलाल पुत्र गोपाल, गूजर निवासी बाढकोटडी तहसील गंगापुर सिटी
4. रामजीलाल पुत्र कल्याण, गूजर निवासी बाढ़कोटडी तहसील गंगापुर सिटी
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी —— प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, स्थायी निषेधाज्ञा और दुरूस्ती इंद्राज

उपस्थितः श्री छुट्टन लाल बैरवा, एड. वादीगण की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 4 की सयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 215, 217, 218, 259, 260 एवं चाह ख0नं0 216 ग्राम बाढ़कोटडी में स्थित है। वादी ने उपरोक्त आराजी देवकीनंदन पिसर मुतवन्ना मूलचन्द से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 18.6.97 को देवकीनन्दन महाजन की खातेदारी के आधे भाव क्रमशः ख0नं0 215 50 48000/—एवं शेष ख०न० 17, 218, 259, 260 का आधा भाग एवं चाह खनं0 216 का 1/4 भाग रू० 50000/— में क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया जिनके नामान्तरकरण नं0 54 एवं 53 दिनांक 26.7.97 को वादी के हक में खुल चुके हैं। वादी ने गत वर्ष ख०नं० 215 के परिचमी भाग में सरसों एवं भूमि ख0नं0 217 व 218 के पश्चिमी भाग में गेहूं तथा ख०नं० 259. 260 के पूर्वी भाग में सरसों काश्त की। दिनाक 16.6.98 को वादी तेजराम के ट्रेक्टर से अपनी कब्जे की भूमि पर जोत लगाने गया तो प्रतिवादी नं० 1 ता 4 ने कहा कि तुम जाति से मीना हो. तुमने गुजरों के

सहायक कलेक्टर
व कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स0मा0)

[illegible] तरमीम करी थी। प्रतिवादीगण ने वादी को धमकी दी कि वे बलपूर्वक [illegible] पर भूमि काश्त करेंगे। वादी का ख0नं0 215 की पश्चिमी 1/2 भाग पर ख0नं0 217,218 की पश्चिमी 1/2 भाग पर, ख0नं0 259 [illegible] की 1/2 पूर्वी हिस्से पर एवं 216 चाह में 1/4 हिस्सा पूर्वी भाग पर कब्जा काश्त है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर [illegible] [illegible] एवं [illegible] के आधार पर एवं वादी के कब्जे के आधार पर वादी की पृथक खातेदारी दर्ज की जावे। प्रतिवादीगण को इसी अनुसार स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी नं० 5 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी नं० 1 ता 4 ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है कि ख०नं० 215 के करीब 71 एयर भूमि पर प्रतिवादी नं० पूर्व से पश्चिम दक्षिणी भाग पर काश्त करता है। इस नम्बर की 26 एयर व ख0नं0 217 की 46 एयर भूमि पूर्व से पश्चिम वादी काश्त करता है। ख०नं० 218 की 49 एयर भूमि को प्रतिवादी रामजीलाल काश्त करता है। ख0नं0 259, 260 के पूर्वी भाग पर वादी ने कभी काश्त नहीं की बल्कि इस पर पन्ना का कब्जा है। अतः दावा वादी खारिज फरमाया जाये। दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकी कायम की गई :–

1. आया भूमि ख०नं० 215, 217, 218, 259, 260 एवं चाह ख०नं० 216 ग्राम बाढकोटडी वादी एवं प्रतिवादी नं० 1 ता 4 की संयुक्त खातेदारी व घरू काश्त की भूमि है।

2. आया वादपत्र के मद नं० 5 के अनुसार वादी का भूमि पर कब्जा चला आ रहा है एवं वादी इसी प्रकार भूमि विभाजन कराने तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है।

3. आया विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का जबान दावे के मद नं० 5 में वर्णित विवरण के अनुसार कब्जा काश्त है तथा वादी ने यह गलत दावा पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।

4. अनुतोष ।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2053 से 2056 प्रदर्श–1. नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श–2 पेश की है एवं बयान वादी मीठालाल के कराए हैं।

प्रतिवादीगण ने जबाब के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है केवल प्रतिवादी पन्ना एवं गवाह बृजमोहन के बयन कराए हैं।

कलेक्टर
[illegible]क मजिस्ट्रे[illegible]
[illegible] (स0मा0)

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी जाकर वादी का दावा दि० 13.8.2002 को प्राथमिक डिक्री किया गया एवं नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी से विभाजन स्कीम मंगवाई गई जो प्राप्त होकर पत्रावली में संलग्न है।

इस न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.8.2002 से अप्रसन्न होकर प्रतिवादी रामजीलाल ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर में अपील पेश की जो दिनांक 1.6.2004 को आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर इस न्यायालय का निर्णय व डिक्री यथावत रखा गया एवं यह आदेश दिए गए कि भूमि बंटवारे में अपीलांट के कब्जे की भूमि यथासम्भव कब्जेदार अपीलांट को दी जावे। इस आदेश से भी अप्रसन्न होकर प्रतिवादी रामजीलाल ने न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की जो दिनांक 5.7.2013 को खारिज की गई एवं प्रकरण का निस्तारण यथासंभव शीघ्रता से करने के निर्देश दिए गए।

पत्रावली वापिस इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रकरण मे उभयपक्ष को विधिवत सुना गया। प्रतिवादीगण की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए। परन्तु प्रतिवादीगण की ओर से विभाजन स्कीम पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई तथा प्रतिवादीगण व इनके वकील के उपस्थित नही होने पर दिनांक 05.08.2025 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

विभाजन स्कीम पर वकील वादीगण को सुना गया। नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वाद वादी डिक्री किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नप्रकार भूमि का विभाजन किया जाता है:–

1. वादी मीठ्या पुत्र गजरया, मीना निवासी बाढकोटडी की खातेदारी में भूमि ख०नं० 215/1 रकबा 49 एयर, 217/1 रकबा 23 एयर, 218/1 रकबा 24 एयर, 259/1 रकबा 6 एयर, 260/1 रकबा 9 एयर कुल रकबा 1.11 हैक्टर ग्राम बाढकोटडी रहेगी।

2. प्रतिवादी पन्ना पुत्र बदरी हिस्सा 1/2, घनश्याम पुत्र किशनलाल गूजर हिस्सा 1/6, रामजीलाल पुत्र गोपाल गूजर हिस्सा 1/6, रामजीलाल पुत्र कल्याण गूजर हिस्सा 1/6 ग्राम बाढकोटडी की खातेदारी में भूमि ख०नं० 215/2 रकबा 48 एयर, 217/2 रकबा 23 एयर, 218/2 रकबा 25 एयर कुल 96 एयर ग्राम बाढकोटडी रहेगी।

3. प्रतिवादी रामजीलाल पुत्र गोपाल गूजर हिस्सा 2/3, घनश्याम पुत्र किशनलाल गूजर हिस्सा 1/6, रामजीलाल पुत्र कल्याण गूजर हिस्सा 1/6 ग्राम चाढकोटडी की खातेदारी में भूमि ख0नं0 259/2 रकबा 6 एयर, 260/2 रकबा 10 एयर कुल 16 एयर भूमि ग्राम बाढकोटडी रहेगी ।

4. ख0नं0 216 रकबा 4 एयर गै०मु०चाह पूर्ववत वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज रहेगा।

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के खाते पृथक पृथक दर्ज कर पृथक पृथक लगान तय किया जावे एवं राजस्व रेकार्ड व नक्शा ट्रेस में उपरोक्तानुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी को उसकी खातेदारी की भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिकी जारी किया जावे ।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 13-01-20 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

([illegible] मीना)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी